

नोट- मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे  
विवाह सहायता हेतु आवेदन सह आदेश-पत्र

- 1 पंजीयन क्रमांक
- 2 आवेदिका का नाम .....
- 3 पिता का नाम
- 4 आवेदिका की आयु
- 5 पत्र व्यवहार का वर्तमान पता
- 6 विवाह हेतु प्रस्तावित माह
- 7 (अ) वर का नाम  
(ब) वर क पिता का नाम  
(स) वर की आयु  
(द) वर के पत्र व्यवहार का पता
- 8 घोषणा- मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है असत्य पाये जाने की दशा में राशि वापस करने का वचन देता हूँ उपरोक्त के लिये मुझे किसी अन्य विभाग से सहायता प्राप्त नहीं हुई है

स्थान :

दिनांक :

संलग्न करें :- (1) वर का फोटो, (2) आमंत्रण पत्र यदि उपलब्ध हो

आवेदक के हस्ताक्षर

**आदेश**

जांचोपरांत उपरोक्त विवरण सही पाए जानेसही न पाए के कारण आवेदन स्वीकृतअस्वीकृत किया जाता है स्वीकृति की दशा में राशि रूपये चेक क्रमांक दिनांक बैंक का नाम शाखा का नाम द्वारा श्री को भुगतान किया गया

स्थान :

दिनांक :

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम

**पावती**

राशि रूपये चेक क्रमांक दिनांक प्राप्त किये गये

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
पूरा नाम  
पता

दिनांक :

**स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-**

- 1 इस योजना का लाभ अब 5 से अधिक महिलाओं के सामूहिक विवाह के आयोजन पर देय होगा
- 2 परिचय-पत्र की छाया प्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावे मूल परिचय-पत्र देखकर लौटा दिया जाना चाहिये तथा परिचय पत्र की छाया प्रति की मांग नहीं की जानी चाहिए आवेदक द्वारा दर्शाये विवरण की स्थल जांच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात् ही सहायता राशि स्वीकृत की जाए
- 3 यदि पंजीबद्ध श्रमिक के परिवार को शासन के अन्य किसी विभागयोजना के अंतर्गत भी सहायता की पात्रता है तो पंजीबद्ध श्रमिक के लिये यह विकल्प होगा कि दोनों में से जहां बेहतर सुविधा मिल रही है उसका चयन वह कर सकेगा किन्तु एक ही प्रकार का लाभ एक से अधिक स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा